



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता संख्या - 1086 वर्ष 2026

श्रवण सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र गुप्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. आवेदक द्वारा यह वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 96 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- मछरेहटा, जिला- सीतापुर में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की आयु लगभग 80 वर्ष है और वह वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के पौत्र का विवाह सूचनाकर्ता की पुत्री के साथ संपन्न हुआ था तथा वे अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे, किंतु उनके मध्य कुछ सामान्य बातों को लेकर आवेदक की पौत्र-वधू ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका का भाई मौके पर आया था तथा उसने उसी दिन संबंधित थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि उसकी बहन ने आत्महत्या की है, जिसके पश्चात शव के पंचायतनामा की कार्यवाही की गई और आवेदक पंचायतनामा के साक्षियों में से एक है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध गढ़े गए तथ्यों के आधार पर केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जबकि आवेदक अपनी आयु के कारण बिना किसी सहारे के चलने-फिरने में असमर्थ हैं, अतः किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना में सहयोग करने के लिए तैयार हैं तथा वर्तमान प्रकरण को छोड़कर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए वह अग्रिम जमानत का अधिकारी है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का तीव्र विरोध किया, किंतु उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक पंचायतनामा के साक्षियों में से एक हैं और मृतका के भाई द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2026 में मृतका के प्रति दहेज एवं क्रूरता का कोई उल्लेख नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि संबंधित थाना प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2026 में उत्पीड़न एवं दहेज की मांग का कोई आरोप नहीं था, जिसके पश्चात मृतका के शव का पंचायतनामा भरा गया, जिसमें आवेदक भी एक साक्षी है, तत्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा उत्पीड़न एवं दहेज की मांग के सामान्य आरोपों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक की आयु लगभग 80 वर्ष है और वह पंचायतनामा का साक्षी है, इसलिए विचाराधीन प्रकरण में अभिरक्षात्मक पूछताछ आवश्यक नहीं है और आवेदक अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है। यदि विवेचक/विवेचना एजेंसी द्वारा आवेदक को अभिरक्षा में लिया जाता है, तो उसे 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां जमा करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसके समान अपराध का वह अभियुक्त या संदिग्ध है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) प्रकरण की सुनवाई, (2) आरोप विरचित करने तथा (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता / धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस हेतु स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे।

6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

11 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।